

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Kolhan Title Suit No.- 51/2022-23

रामसिंग सावैयाँ ।

बनाम

सुखलाल सावैयाँ (हो) ।

आदेश

यह वाद दिनांक- 22.07.2022 को रामसिंग सावैयाँ, पिता-स्व० जामदार सावैयाँ, ग्राम- गितिलपि, पोस्ट- चाईबासा, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र के Schdule- A में वर्णित भूमि विवरणी पर Partition and separate share के लिए प्रतिवादी सुखलाल सावैयाँ (हो), पिता- स्व० लादुरा सावैयाँ, ग्राम- गितिलपि, पोस्ट- चाईबासा, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में वादी एवं उनके विद्ववान अधिवक्ता कई तिथियों से अनुपस्थित रहने के कारण प्रतीत होता है कि वादी को वाद में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा